

कार्यालय, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर

कार्यालय दूरभाष नम्बर - 0731.2528650

ईमेल - govt.nursingcollegeindore@rediffmail.com

फैक्स नम्बर - 0731.2528650

वेबसाइट - www.nursinggovcollegeindore.in

क्र. 6872/नर्सिंग/छात्राशाखा/2026

इन्दौर दिनांक 05/9/2026

मध्यप्रदेश राजपत्र लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-3-3-4-001-1-सत्रह (PHE) भोपाल दिनांक 24 दिसम्बर 2024 के नियमानुसार बिन्दु क्रमांक 10 काउंसलिंग प्रक्रिया के सह सरल क्रमांक (ग) के परिपालन में पात्र अभ्यर्थी मूल दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क व अन्य शुल्क डी.डी./ऑनलाइन/आर.टी.जी.एस के माध्यम से C.E.O. Autonomous Society Govt. College of Nursing, Indore के बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग दिनांक को काउंसलिंग शुल्क प्रवेश प्रक्रिया से पूर्व जमा करना अनिवार्य है।

पोस्ट बेसिक बी.एस.सी नर्सिंग प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु :-

प्रशिक्षण शुल्क का विवरण निम्नानुसार है।

• प्रशिक्षण शुल्क -	राशि ₹ 25,000/-	प्रतिवर्ष
• कम्प्यूटर शुल्क -	राशि ₹ 1,000/-	सिर्फ एक बार
• कॉशनमनी -	राशि ₹ 1000/-	सिर्फ एक बार रिफंडेबल
• ट्रांसपोर्ट फीस -	राशि ₹ 3000/-	प्रतिवर्ष
• लायब्रेरी फीस -	राशि ₹ 2500/-	सिर्फ एक बार

कुल फीस - राशि ₹ 32,500/-

नोट:- काउंसलिंग फीस - राशि ₹ 1,000/- अलग से देय होगी। (सिर्फ एक बार)

Anish
प्राचार्य
शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय
इन्दौर

पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु
(रु. 500/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवायें)

:- शपथ - पत्र:-

मैं पिता श्री निवासी
..... ने शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर में पोस्ट बेसिक
बी.एस.सी. नर्सिंग दो वर्षीय 2026-27 में प्रवेश प्राप्त किया है।

1. मैंने और मेरे पालक ने डायरेक्टर म.प्र. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल के समय सारणी दिनांक 24/08/2026 के अनुसार जारी काउंसलिंग प्रक्रिया संबंधी सूचना एवं आवश्यक दिशा निर्देशों का ध्यान पूर्वक अवलोकन मेरे एवं मेरे पालक द्वारा कर लिया गया। मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24/12/2024 के पृष्ठ क्रमांक 716 (11) पर दर्शाये गये विन्दु क्रमांक 12 संचालक द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित प्रपत्र में निम्न दस्तावेज :-

(1) छात्र-छात्रा द्वारा शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्था से पाठ्यक्रम पूर्ण न करने की स्थिति में राशि रु. 2 लाख शासकीय कोषालय में जमा करना अनिवार्य होगा, के परिपालन में उक्त अनुबंध लेख अनुसार बाण्ड राशि रु. 2,00,000/- (अक्षरीय राशि रु. दो लाख) मेरे द्वारा एक मुश्त शासकीय कोष में जमा कराने के लिए बाध्य रहूँगी/रहूँगा

2. काउंसलिंग दिनांक को मेरे द्वारा 10वीं की मूल अंकसूची, 12वीं की मूल अंकसूची, जी.एन.एम प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की अंकसूची, जीवित रजिस्ट्रेशन / डिप्लोमा, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (डिजिटल) व अन्य मूल दस्तावेज जो जमा किये गये, उक्त जमा किये गये मूल दस्तावेजों का सत्यापन महाविद्यालय के द्वारा कराये जाने पर गलत पाये जाते हैं तो कानूनी और वैधानिक कार्यवाही के लिए बाध्य रहूँगी/रहूँगा एवं महाविद्यालय की निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क व अन्य शुल्क भी समय पर जमा करने के लिए बाध्य रहूँगी/रहूँगा महाविद्यालय के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगी/करूँगा। मध्य प्रदेश द्वारा उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/स्टायफण्ड दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसके लिए मैं किसी प्रकार कोई दबाव नहीं बनाऊँगी/बनाऊँगा और ना उक्त संबंध में कोई शिकायत नहीं करूँगी / करूँगा, शासन और महाविद्यालय के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगी/करूँगा।

3. यह शपथ लेती हूँ / लेता हूँ कि मैं शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर में अपने एम.एस.सी. नर्सिंग दो वर्षीय पाठ्यक्रम की अवधि में किसी भी प्रकार की रैगिंग अथवा गैर कानूनी एवं अवांछनीय गतिविधियों में न तो भाग लूँगी / लूँगा और न ही ऐसी किसी कार्यवाही हेतु किसी अन्य को प्रोत्साहित करूँगी/करूँगा। और साथ ही मेरे विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं है अथवा न्यायालय द्वारा मुझे किसी भी प्रकार से दंडित नहीं किया गया है।

महाविद्यालय प्रशासन को पूर्ण अधिकार होगा कि मुझे उपरोक्त अवांछनीय/गैर कानूनी अथवा रैगिंग की गतिविधियों में किसी भी तरह से सम्मिलित पाये जाने पर मेरे या मेरे विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसी परिस्थितियों में महाविद्यालय प्रशासन को धारा 3791 के अनुसार अधिकार होगा।

महाविद्यालय के निर्देश/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्या की शिकायत के आधार पर छात्र-छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण

से निष्कासित किया जा सकता है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी और मेरे पालक की रहेगी। मध्यप्रदेश शासन एवं महाविद्यालय पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाऊंगी/बनाऊंगा और ना उक्त संबंध में कोई शिकायत एवं वैधानिक कार्यवाही नहीं करूंगी/करूंगा।

धन्यवाद।

हस्ताक्षर (छात्र-छात्रा)

नाम :- _____

निवास पता :- _____

गवाह:-

1. नाम :- _____

हस्ताक्षर :- _____

निवास पता :- _____

मोबाईल:- _____

हस्ताक्षर (पालक)

नाम :- _____

2. नाम :- _____

हस्ताक्षर :- _____

निवास पता :- _____

मोबाईल:- _____

(पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग प्रथम वर्ष में ज्वाइनिंग के लिए आवेदन-पत्र)

दिनांक : / /2026

प्रति,

प्राचार्य महोदय,
शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय,
सी.आर.पी. लाईन, इंदौर

विषय:- पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग प्रथम वर्ष में उपस्थित होने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रवेश सत्र 2026-27 में डायरेक्टर, मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, भोपाल के द्वारा जारी काउंसिलिंग समय सारणी दिनांक 24/08/2026 के अनुसार प्रथम चरण में मेरा अस्थायी चयन पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित ऑन-लाइन काउंसिलिंग के माध्यम से महाविद्यालय में दिनांक _____ को मूल दस्तावेजों का सत्यापन व प्रशिक्षण शुल्क जमा करने पर अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य वर्ग/EWS की सीट पर हुआ है।

मैं आज दिनांक _____ को उक्त प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हो गई हूँ/हो गया हूँ।

आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।

हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा का नाम :- _____

निवास पता :- _____

मोबाइल नम्बर :- _____

पिता का नाम :- _____

मोबाइल नम्बर :- _____